न्यायालय आर्बिट्रेटर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर रेल परियोजना एवं संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सी0आर0मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, अजमेर)

परिवाद संख्या :–2020/00771/आर्बिटेशन/अजमेर

1. श्री श्याम सिंह गहरवार पुत्र श्री रामदेव, निवासी रेल्वे फाटक के पास किरानीपुरा रोड़ धोलाभाटा, अजमेर।

––परिवादी

बनाम

1. सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर।
2. मुख्य परियोजना अधिकारी, ए–1 कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक, डीएफसीसीआईएल, एसपी (जीआरपी)ऑफिस के पास, सर्कुलर रोड़, कुन्दन नगर, अजमेर।

अप्रार्थीगण

परिवाद अन्तर्गत भारत सरकार के राजपत्र संख्या 1881 नई दिल्ली 10–9–2010 रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना दिनांक 30–8–2010 के अनुसार केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 च के खण्ड (6)विरूद्ध अवार्ड ग्राम किरानीपुरा दिनांक 17–4–2017 व संशोधित अवार्ड उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) अजमेर जिसके द्वारा परिवादी को पूर्व में जारी अवार्ड में अंकित राशि में से कुछ राशि काटकर बाकी मुआवजा दिया गया।

उपस्थितः–

1. श्री लेखू मंघानी, अभिभाषक–परिवादी
2. श्री अजय गोयल, अभिभाषक – अप्रार्थी संख्या–02

पंचाट/निर्णय

दिनांक :– 03–07–2023

परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) अजमेर के द्वारा ग्राम किरानीपुरा तहसील अजमेर में स्थित भूमि अवाप्ति के बारे में अवार्ड दिनांक 17–04–2017 को पारित किया गया है, के विरूद्ध यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद Sub-to Limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। परिवादी व अप्रार्थी संख्या 2 के दोनों अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र रेल्वे एक्ट 2008 की धारा 20 (6) के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अधिनिर्णय दिनांक 17–04–2017 ग्राम किरानीपुरा जारी करने व परिवादी के नाम उतना मुआवजा माना है, इसकी सूचना नहीं दी गई है। सक्षम अधिकारी ने किसी को भी अवाप्ति की सूचना नहीं दी। संशोधित अवार्ड की भी सूचना नहीं दी। उस दिन पूर्व मौके पर डी.एफ.सी.सी.आई.एल. के कर्मचारी व अधिकारी आये तथा उन्होंने परिवादी को कहा कि हमें सम्पत्ति का कब्जा लेना है और खाली करो और उन्होंने बतलाया कि उनके नाम उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने मुआवजा तय कर लिया जो कि दस्तावेज पेश होने पर बैंक में जमा हो जायेगा। रेल्वे एक्ट 2008 की धारा 20 (6) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है फिर भी यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः परिवाद प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत परिवाद को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–2 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि परिवादी की कोई सम्पत्ति अवाप्त नहीं की गई है। परिवादी द्वारा कोई लिखित अथवा मौखिक आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष अवार्ड पूर्व अथवा अवार्ड के पश्चात कभी भी प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्ष के अधिवक्तागण की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में रेल्वे एक्ट 2008 की धारा 20 (6) के तहत समय–समय पर जारी प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से परिवादी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि परिवादी ने ग्राम किरानीपुरा तहसील अजमेर स्थित खसरा नम्बर 2171 व 2172 मिन की भूमि में से 194.33 वर्गगज भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की। परिवादी ने पुराने बने हुए मकान को तुड़वाकर नये सिरे से वर्ष 2008 में मकान का निर्माण करवाया। परिवादी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से जब वर्ष 2008 में सेवानिवृत हुआ तब मकान का पुनः निर्माण कराया। इस मकान में परिवादी ने पानी व बिजली का कनेक्शन लेकर वह अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है तथा इसी परिसर में दुकान भी चला रहा है। सक्षम अधिकारी ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार कये बिना ही अवार्ड संख्या राजस्व/भू–अ–वा/रेल्वे/2011/6191 दिनांक 15–7–2011 जारी किया इसमें अवाप्तशुदा भूमि निर्मित भवन का मूल्यांकन कर मुआवजा तय किया। परिवादी ने उक्त मुआवजा आदेश के

विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की। रिट याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर ने सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित उक्त अवार्ड दिनांक 15–7–2011 जो परिवादी से संबंधित था, को निरस्त कर दिया तथा यह आदेश दिया कि यदि सक्षम अधिकारी चाहे भूमि की अवाप्ति नये सिरे से एवं नियमानुसार कर सकते है। सक्षम अधिकारी ग्राम किरानीपुरा अजमेर स्थित विभिन्न खसरा नम्बरों की भूमि/भवन की अवाप्ति के लिए नये सिरे से रेल्वे एक्ट (संशोधित) 2008 के तहत धारा 20ए की अधिसूचना संख्या 1408 दिनांक 7–6–2016 को राजपत्र में प्रकाशित की गई तथा इस अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति अजमेर के संस्करण में दिनांक 22–6–2016 को कराया गया। तत्पश्चात उक्त अधिनियम की धारा 20ई की अधिसूचना संख्या 154(अ) दिनांक 12–1–2017 को राजपत्र में प्रकाशित की गई जिसका राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक 26–1–2007 को प्रकाशन कराया तत्पश्चात दिनांक 17–04–2017 को अधिनिर्णय पारित किया गया जिसमें परिवादी के नाम निम्नानुसार मुआवजा निर्धारित किया गयाः–

कुल अवाप्त भूमि	भूमि का मूल्य	आवासीय मकान का कुल मुआवजा	पूर्व अवार्ड में स्वीकृत मुआवजा	कुल मुआवजा
0.0145 है0	8,87,073/–	50,63,291/–	–	59,50,364/–

पूर्व अवार्ड में निर्धारित मुआवजे की राशि परिवादी द्वारा नहीं ली गई है।

सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक नोटिस दिनांक 28–7–2017 को जारी किया गया जिसमें परिवादी को सूचित किया कि विशेष रेल परियोजना पश्चिमी समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और परिचालन हेतु ग्राम किरानीपुरा के खसरा संख्या 2172 (नया 3238/2559) में से 0.0269 हैक्टर भूमि अवाप्ति की गई है। जिसमें भूमि पर स्थित संरचना भी सम्मिलित है। रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 की धारा 20ड़ की उपधारा 2 के अनुसार अधिसूचना का प्रकाशन की दिनांक से उक्त भूमि अनन्य रूप से सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित हो गई। नोटिस में यह भी अंकित किया कि अधिनिर्णय दिनांक 17–4–2017 को जारी किया जा चुका है उक्त मुआवजा राशि में लिपिकीय एवं गणीतिय त्रुटिवश संरचना पर ब्याज के रूप में राशि अवार्ड में सम्मिलित कर ली गई है जो कि नियमानुसार देय नहीं है। इसलिए उक्त राशि की कटौति की जा रही है। परिवादी ने निधारित अवधि में उक्त नोटिस दिनांक 28–7–2017 का जवाब सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया कि भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की अनुसूचि–1 में भूमि व भवन पर ब्याज दिये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार जो कटौति ब्याज की जा रही है वह नहीं की जावे तथा यह भी अनुरोध किया कि पुर्नवास नीति 2007 व भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की अनुसूचि–2 के तहत परिवादी को परिलाभ नहीं दिये गये है। सक्षम अधिकारी ने संशोधित अवार्ड

दिनांक 7–9–2017 जारी किया जिसमें नवीन रूप से मुआवजा निर्धारित किया गया है:–

कुल अवाप्त भूमि	भूमि का मूल्य	आवासीय मकान का कुल मुआवजा	पूर्व अवार्ड में स्वीकृत मुआवजा	कुल मुआवजा
0.0145 है0	8,87,073/–	4805286/–	–	5492359/–

सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा जारी उक्त मुआवजा अवार्ड दिनांक 17–04–2017 के विरूद्ध परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि जो संशोधित अवार्ड जारी किया गया है उसे जारी करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को नहीं है। एक बार जब अवार्ड जारी किया गया है तो उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जो संशोधन अवार्ड जारी किया गया है वह नियमों के प्रावधानों के विपरीत है। यदि पूर्व अवार्ड में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो रेल्वे अधिनियम की धारा 20 (6) के तहत आर्बिट्रेटर के समक्ष ही आवेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। इस प्रकार संशोधित अवार्ड पूर्णरूप से विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की अनुसूची–1 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही भूमि व भवन पर मुआवजा तय किये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 30(3) में भी 12 प्रतिशत राशि ब्याज के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार जो कटौति की है वह उचित नहीं है। इस बाबत माननीय न्यायालय ने भी 12 प्रतिशत ब्याज दिये जाने की व्यवस्था है।इस प्रकार जो कटौति की है वह उचित नहीं है। सक्षम अधिकारी ने दिनांक 17–4–2017 को जो अवार्ड जारी किया गया है उसमें परिवादी को पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की अनुसूचि–2 में वर्णित परिलाभ नहीं दिये गये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर के समक्ष एस.बी. रिट याचिका संख्या 7602/2018 बीना फालके बनाम सक्षम अधिकारी प्रस्तुत की इस रिट याचिका का निर्णय दिनांक 9–5–2018 को किया गया जिसमें निम्न निर्णय पारित किया गया:–

> '' इससे यह स्पष्ट है कि लाभ उन याचिकाकर्ताओं को दिया जाना है जो अपने आवासीय घरों में रह रहे है और उनकी आजीविका मुख्य रूप से उन एक मात्र घरों पर निर्भर है जो उनके पास है। दूसरी अनुसूचि के अनुसार उत्तरदाताओं को या तो एक निर्मित घर प्रदान करना होगा या नकद सहायता प्रदान करनी होगी। हालांकि

> दोनों की मामलों में दूसरी अनुसूचि के आदेश को अलग रखा जाना आवश्यक है और तद्नानुसार उसे अलग रखा जाता है।''

उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लिमिटेड ने माननीय खण्डपीठ के समक्ष डीबी सिविल स्पेशल अपील रिट संख्या 817/2018 प्रस्तुत की जिसमें खण्डपीठ ने निम्न निर्णय दिया है:–

> ''हम इसे उचित मानते है कि अपीलकर्ताओं द्वारा जमा की जाने वाल राशि प्रस्तावित राशि से थोड़ी अधिक होनी चाहिए और हमारे विचार में यह राशि रूपये 4,00,000/–प्रति प्रतिवादी होनी चाहिए जो रेल्वे अधिनियम की धारा 20एफ(6)के सन्दर्भ में आर्बिट्रेटर द्वारा पारित किये जाने वाले पुरूस्कार के अधीन होगा जिसकी कार्यवाही उत्तरदाताओं के उदाहरण पर शुरू की गई है।''

माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों से यह स्पष्ट हो गया है कि अधिनियम 2013 की द्वितीय अनुसूचि में जो परिलाभ परिवादी को देय है वह श्रीमान द्वारा ही तय किये जाने की व्यवस्था है। इसलिए यह परिवाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार परिवादी प्रारम्भिक अनुदान 4,00,000/– रूपये तत्काल पाने का अधिकारी है।

परिवादी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि रेल मंत्रालय ने परिपत्र क्रमांक ई (एनजी) 4/2010/आरसीएस/1/99/2010 दिनांक 16.07.2010 को एक आदेश जारी कर अवाप्त की जाने वाली भूमि/भवन के मालिक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी व्यवस्था की है। सक्षम अधिकारी के समक्ष इस बिन्दु को उठाया गया था तथा उक्त आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की गई थी, परन्तु सक्षम अधिकारी ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। परिवादी का परिवार बहुत गरीब है तथा अवाप्ति के पश्चात उसके पास रहने का अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए परिवादी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलवाई जाये। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ने दिनांक 23.05.2015 को जो पत्र DFCCIL को लिखा है, उसमें Entitlement of Matrix For DFC संलग्न किया है। उसमें सरकारी नौकरी दिया जाना सम्भव नहीं होने पर एकमुश्त 5,00,000/– रूपये की राशि दिये जाने की व्यवस्था की है। रेलवे अधिनियम (संशोधित एक्ट नं. 11) 2008 की धारा 20 एफ (8) () (इ) व (ब) में अधिग्रहित सम्पत्ति का कब्जा लेने व उस व्यक्ति को अन्य शिफ्ट करने में जो हानि होगी, उसका भुगतान भी प्रभावित पक्षकार को करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार धारा 20 जी (5) (6) के तहत भी प्रतिकर की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है जो कि करवाया जावे। रेल्वे अधिनियम (संशोधन संख्या 11/2008) 2008 की धारा 20–ओ के तहत नैशनल रिहेब्लिटेशन एण्ड रि–सेटलमेंट पॉलिसी 2007 के प्रावधान इस प्रोजेक्ट में भी लागू किये गए हैं। इसी प्रकार भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था का अधिकार अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुसार भूमि के बदले भूमि दिये जाने की व्यवस्था है। परिवादी की जो भूमि अवाप्त की गई है,

उसके बराबर विकसित भूमि परिवादी को दिलवाई जाये। बिन्दु संख्या 5 के अनुसार प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को एक वर्ष तक तीस हजार रूपये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार 50,000/– रूपये परिवहन खर्चा एवं बिन्दु संख्या 10 के अनुसार एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता अनुग्रह राशि जो कम से कम 50,000/– रूपये है, दिये जाने की व्यवस्था करावें। परियोजना हेतु भूमि के फलस्वरूप अनुच्छेद 7.4.1 के अनुसार सहायता राशि रा.पु.व.पु. नीति 2007 के अनुच्छेद 7.11 के अनुसार स्थानांतरण सहायता एवं पारगमन सहायता तथा अनुच्छेद 7.12 के अनुसार सहायता राशि भी दिलवाई जावे। रेल्वे अधिनियम 2008 की धारा 20 एच (5) के तहत बढ़े हुए मुआवजे पर नियमानुसार 12 प्रतिशत ब्याज दिलवाया जावें।

उनका यह भी तर्क है कि परिवादी अवाप्तशुदा परिसर में एक दुकान चलाता था जो अवाप्ति के कारण टूट गई तथा परिवादी का जीविकोपार्जन का साधन समाप्त हो गया। इसके लिए नियमानुसार परिवादी 5,00,000/–रूपये अतिरिक्त राशि पाने का अधिकारी है।

राजस्थान पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों के तहत भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के अनुसार 2,13,000/– रूपये सहायता राशि दिलवाई जावे। 30,000/– रूपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता के हिसाब से 3,60,000/– रूपये इस मद से भुगतान कराया जावे।

प्रभावित पक्षकार के परिवार को रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी दिलाई जाये, यदि यह सम्भव नहीं हो तो एकमुश्त 5,00,000/– रूपये की राशि दिलाई जावे । अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अभिभाषक ने परिवादी के कथनो के संबंध में बहस के दौरान कथन किया कि परिवादी की भूमि व संरचना की अवाप्ति रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 के तहत हुई है एवं मुआवजा अधिनियम–2008 व उस पर आधारित Entitlement of Matrix के प्रावधानानुसार विधिसम्मत नियमानुसार बनाया गया है साथ संरचना का मूल्यांकन बिना अवमूल्यन की गणना किये अवार्ड बनाने व वास्तविक मूल्य जोकि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तय की जाती है। अतः इस पर 100 प्रतिशत सोलेशियम दिया गया। चूंकि संरचना का मूल्यांकन के तत्काल बाद अवार्ड जारी हो जाता है। अतः इस राशि पर कोई ब्याज देना संभव नहीं है। चूंकि लिपिकीय व गणितिय त्रुटिवश संरचना पर ब्याज के रूप में राशि सम्मिलित कर ली थी जिसे अवार्ड के तत्काल बाद संशोधित अवार्ड जारी कर इस ब्याज राशि को कम कर दिया जो कि विधिसम्मत है। चूंकि संरचना का मूल्यांकन 20ए के प्रावधान के समय नहीं करके अवार्ड बनाने के समय किया जाता है। अतः इसमें परिवादी के कोई हित प्रभावित नहीं होते है। परिवाद की आधार संख्या 3 में बताया जाता है कि अवार्ड की अवाप्ति रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 के तहत हुई है एवं मुआवजा अधिनियम 2008 व उस पर आधारित Entitlement of Matrix –2015 के प्रावधानानुसार बनाया है। भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित

प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान रेल्वे संशोधित अधिनियम–2008 पर लागू नहीं होते है। परिवादी का कथन कि परिवादी प्रारम्भिक अनुदान 4,00,000/– रूपयें पाने का अधिकारी है स्वीकार्य नहीं है। उक्त अनुदान राशि 4,00,000/– रूपयें केवल उक्त रिट संख्या 817/2019 में उत्तरदाता संख्या 1 से 15 पर ही लागू था। साथ ही उक्त राशि का भुगतान आर्बिट्रेटर महोदय के आदेश पर निर्भर था हैसा कि पैरा में वर्णित है कि **''यह राशि रूपये 4,00,000/–प्रति प्रतिवादी होनी चाहिए जो रेल्वे अधिनियम की धारा 20एफ(6)के सन्दर्भ में आर्बिट्रेटर द्वारा पारित किये जाने वाले पुरूस्कार के अधीन होगा''** आर्बिट्रेटर महोदय द्वारा जारी आदेश दिनांक 30–9–2019 में यह स्पष्ट विवेचन किया है कि पुनर्वासन व पुर्नव्यवस्थापन बाबत प्रस्तुत प्रकरण एडमीसीबल नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि परिवादी का परिवाद में कथन है कि परिपत्र दिनांक 16–7–2010 के तहत एक सदस्य को नौकरी दिये जाने का दावा किया है परन्तु डीएफसी द्वारा की जाने वाली भूमि अवाप्ति में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है एवं रेल्वे की नीति डीएफसी पर लागू नहीं होती है। परिवादी को मुआवजा रल्वे संशोधित अधिनियम 2008 व Entitlement of Matrix –2015 के प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत पारित किया गया है। परिवादी का यह कथन असत्य है कि परिवादी की जो भूमि अवाप्त की गई है उसके बराबर विकसित भूमि परिवादी को दिलाई जावे। रेल्वे अधिनियम 2008 में ना तो मकान के बदले मकान और ना जमीन के बदले जमीन देने का कोई प्रावधान है। परिवादी की भूमि व संरचना की अवाप्ति रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 के तहत हुई है एवं मुआवजा अधिनियम 2008 व उस पर आधारित Entitlement of Matrix –2015 के प्रावधानानुसार विधिसम्मत नियमानुसार बनाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय पुनर्वासन एवं पनर्व्यवस्थापन नीति–2007 उपरोक्त अवार्ड दिनांक 17–4–2017 पर लागू नही है। चूंकि परिवादी एक सरकारी कर्मचारी था जिसकी ना तो आजीविका प्रभावित हुई है और ना ही इनकी पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रभावित हुआ है। परिवादी शेडयूल–।। के किसी भी परिलाभ के लिए हकदार नहीं है क्योंकि वर्तमान में परिवादी उसी मकान में निवास कर रहा है। परिवादी को रेल्वे अधिनियम–2008 के तहत मुआवजा विधिसम्मत पारित किया है मुआवजा राशि बढ़ने की कोई संभावना नहीं है और ना कोई ब्याज बनता है। परिवादी का कथन असत्य हैकि परिवादी की आजीविका प्रभावित हुई है क्योंकि मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व एक संयुक्त सर्वेक्षण करवाया गया तथा उक्त अवाप्त भूमि से आजीविका प्रभावित होने वाले हितबद्धधारियों की मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अनुसार पात्र पाये गये हितबद्धधारियों को नियमानुसार अनुदान राशि प्रदान की गई। साथ ही परिवादी ने अवाप्ति के समय ऐसा कोई रेकार्ड या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे सिद्ध हो कि अवाप्तशुदा परिसर में कोई दुकान चल रही थी। अतः परिवादी का परिवाद न्यायहित में खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की उक्त बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन कर सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट होते है कि सक्षम अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति

अधिकारी अजमेर ने दिनांक 17–04–2017 को संशोधित अवार्ड जारी करने हेतु संबंधित खातेदार/हितबद्धधारी को नोटिस जारी कर इस संबंध में 7 दिवस के अन्दर आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। भूमि अर्जनल, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 33 दिये गये प्रावधानानुसार क्षतिपूर्ति राशि संशोधित करते हुए पूर्व अवार्ड राशि रूपयें 1,83,70931/– के स्थान पर कुल राशि रूप्यें 1,74,13,539/–का अवार्ड जारी किया गया है। जिसमें परिवादी की हिस्सानुसार क्षतिपूर्ति राशि 5492359/– निर्धारित की गई है। परिवादी की पूर्व अवार्ड की राशि रूपयें 1687302/– कोर्ट में जमा है। सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ने अभिनिर्णय दिनांक 27–10–2017 में उल्लेखित किया है कि जिन–जिन खसरा नम्बरों में मौके पर कब्जेदार के रूप में हितबद्धधारी/खातेदारों को आवासीय भूखण्ड के अनुसार मुआवजा तय किया गया है सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा समस्त प्रावधानों का ध्यान में रखकर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। साथ ही बेचान दस्तावेज/इकरार नामे से तस्दीक भूमि जिनका राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं है का मुआवजा प्राप्त करने के लिए हितबद्धधारी को पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात निर्विवाद स्थिति में भूमि का भुगतान किया जायेगा। भूमि का भौतिक सत्यापन होने पर ही भुगतान किया जायेगा ऐसा साक्ष्य एवं भूमि का रकबा प्रमाणीकरण कराने का दायित्व संबंधित परिवादी का ही होगा। रेल्वे अधिनियम 2008 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत रेलवे में नौकरी दी जाती हो। चूंकि संरचना का मूल्यांकन के तत्काल बाद अवार्ड जारी हो जाता है। अतः इस राशि पर कोई ब्याज देना संभव नहीं है। चूंकि लिपिकीय व गणितिय त्रुटिवश संरचना पर ब्याज के रूप में राशि सम्मिलित कर ली थी जिसे अवार्ड के तत्काल बाद संशोधित अवार्ड जारी कर इस ब्याज राशि को कम कर दिया जो कि विधिसम्मत है। चूंकि संरचना का मूल्यांकन 20ए के प्रावधान के समय नहीं करके अवार्ड बनाने के समय किया जाता है। अतः इसमें परिवादी के कोई हित प्रभावित नहीं होते है। परिवाद की आधार संख्या 3 में बताया जाता है कि अवार्ड की अवाप्ति रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 के तहत हुई है एवं मुआवजा अधिनियम 2008 व उस पर आधारित Entitlement of Matrix –2015 के प्रावधानानुसार बनाया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी को मुआवजा रल्वे संशोधित अधिनियम 2008 व Entitlement of Matrix –2015 के प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत पारित किया गया है। परिवादी का यह कथन असत्य है कि परिवादी की जो भूमि अवाप्त की गई है उसके बराबर विकसित भूमि परिवादी को दिलाई जावे। रेल्वे अधिनियम 2008 में ना तो मकान के बदले मकान और ना जमीन के बदले जमीन देने का कोई प्रावधान है। परिवादी की भूमि व संरचना की अवाप्ति रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 के तहत हुई है एवं मुआवजा अधिनियम 2008 व उस पर आधारित Entitlement of Matrix –2015 के प्रावधानानुसार विधिसम्मत नियमानुसार बनाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय पुनर्वासन एवं पनर्व्यवस्थापन नीति–2007 उपरोक्त अवार्ड दिनांक 17–4–2017 पर लागू नही है। चूंकि परिवादी एक सरकारी कर्मचारी था जिसकी ना तो आजीविका प्रभावित हुई है और ना ही इनकी पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रभावित हुआ है। परिवादी शेडयूल–।। के किसी भी परिलाभ के

लिए हकदार नहीं है क्योंकि वर्तमान में परिवादी उसी मकान में निवास कर रहा है। परिवादी को रेल्वे अधिनियम–2008 के तहत मुआवजा तय किया है मुआवजा राशि बढ़ने की कोई संभावना नहीं है और ना कोई ब्याज बनता है। परिवादी का कथन असत्य है कि परिवादी की आजीविका प्रभावित हुई है क्योंकि मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व एक संयुक्त सर्वेक्षण करवाया गया तथा उक्त अवाप्त भूमि से आजीविका प्रभावित होने वाले हितबद्धधारियों की मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अनुसार पात्र पाये गये हितबद्धधारियों को नियमानुसार अनुदान राशि प्रदान की गई। साथ ही परिवादी ने अवाप्ति के समय ऐसा कोई रेकार्ड या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया न ही पत्रावली में उपलब्ध है जिससे सिद्ध हो कि अवाप्तशुदा परिसर में कोई दुकान चल रही थी। परिवादी को सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा नियमानुसार संशोधित अवार्ड दिनांक 07–09–2017 द्वारा कुल अवाप्ति भूमि 0.0145 है0 का मुआवजा राशि रूपयें 5492359/ निर्धारित किया है जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर परिवादी का आर्बीटेशन परिवाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 17–4–2017 एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 07–09–2017 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

पंचाट/निर्णय आज दिनांक 03–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
मध्यस्थ एवं
संभागीय आयुक्त,
अजमेर